रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99

#### भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA



एस.जी.-डी.एल.-अ.-24122020-223917 SG-DL-E-24122020-223917

#### असाधारण EXTRAORDINARY

### प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 278]दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 23, 2020/पौष 2, 1942[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 234No. 278]DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 23, 2020/PAUSHA 2, 1942[N. C. T. D. No. 234

#### भाग IV PART IV

## राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

# परिवहन विभाग अधिसूचना

दिल्ली, 23, दिसम्बर, 2020

स फा 23(488) / परि वि /ARU / 2010 / 452 / 1318.— इस सम्बन्ध में पूर्ववर्ती अधिसूचना के अधिक्रमण में तथा मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 67 की उप—धारा (1) के खंड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त उप—धारा (1) के खंड (घ) के सम्बन्ध में, राज्य परिवहन प्राधिकरण, दिल्ली को निम्नलिखित निर्देश दिए जाते हैं, अर्थात—

दिल्ली के ऑटोरिक्शा के ऑपरेटरों द्वारा लिया जाने वाला किराया निम्नानुसार होगा-

(क) किराया (जी.पी.एस./जी.पी.आर.एस./नियंत्रण कक्ष तथा मांग पर ऑटोरिक्शा उपलब्ध कराने वाले केंद्र के लिए 0 50 रुपये के प्रभार सहित)

प्रथम 1.5 किलोमीटर के लिए 25 रुपये (मीटर डाउन करके) तथा उसके पश्चात प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 9.50 रुपये

6318 DG/2020 (1)

(ख) रात्रि प्रभार	किराये का 25 प्रतिशत (रात्रि 11 00 बजे से
	प्रातः 5.00 बजे तक)
(ग) प्रतीक्षा प्रभार	प्रतीक्षा शुल्क रु० ० ७ उ५ प्रति हर मिनट के लिए लागू
	होगा (पहले की तरह न्यूनतम 15 मिनट की कोई
	सीमा नहीं जब वाहन स्थिर हो या ट्रैफिक में अटक
	जाए या बेहद धीमी गति से चले (10 मिनट में 1
	किमी से कम कवर करे)
(घ) सामान प्रभार	7 50 रुपये अतिरिक्त सामान प्रभार के रूप में वसूल
( )	किये जाएंगे जबकि चालक/ऑपरेटर किसी शॉपेंग
•	बैग या छोटी अटैची / सूटकेंस के लिए कोई धनराशि
	वसूल नहीं करेगा।
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,

एस एस चौहान, उप-सचिव राज्य परिवहन प्राधिकरण, दिल्ली

# TRANSPORT DEPARTMENT NOTIFICATION

Delhi, the 23rd December, 2020

**No. F. 23** (488)/TPT/ARU/2010/452/1318.—In supersession of earlier notifications in this behalf and in exercise of the powers conferred by Clause (i) of sub section (1) of Section 67 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi, having regard to Clause (d) of the said sub section (1) hereby issues the following directions to the State Transport Authority of Delhi, namely: -

The fares chargeable by the operators of Auto Rickshaws in the National Capital Territory of Delhi, shall be as follows:

(a)	Fare (including Rupees 0.50 charges for Global Positioning System (GPS)/ General Packet Radio Service (GPRS)/ Control Room)	Rs 25/- for first fall of 1.5 km (upon downing the meter) and thereafter Rs. 9.50 per km for every additional kilometre.
(b)	Night Charges	25% of the fare (11.00 PM to 5.00 AM)
(c)	Waiting Charges	Waiting charges at the rate of Rs. 0.75 per minute shall be applicable for every minute (no limit of minimum 15 minutes as earlier when the vehicle is stationary or stuck in traffic or moving extremely slow (less than 1 km covered in 10 minutes).
(d)	Luggage Charges	Rs. 7.50 shall be charged as extra Luggage charges whereas the driver/operator shall not charge any extra amount for a shopping bag or a small attachi/ suitcase.

This notification shall come into force from the date of publication in official Gazette.

By Order and in the Name of the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi.

S. S. CHAUHAN, Dy. Secy. State Transport Authority, Delhi